संख्या-2/4374/37-1-2013-07(81)/2011

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ

पशुधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2013

विषय- पशु चिकित्सा अधिकारियों को निजी प्रैक्टिस की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में1

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग, 1979-80 की संस्तुति के क्रम में पशुधन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 1215/12-प-1-10-16(1)/74(103), दिनक 21-5-1982 द्वारा पशुधन विकास अधिकारी को दस रूपये प्रतिमास की दर से अनुमन्य नान प्रैक्टिससिंग भत्ते के भुगतान को बन्द करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-46 ए के अधीन परामर्श शुल्क लिये जाने हेतु अधिक़त किया गया था1 कालान्तर में पशुधन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 956प0म0/12-प-1-94-8(114)/94, दिनांक 28-11-1994 द्वारा परामर्श शुल्क की दरों को संशोधित किया गया1

2- रिट याचिका संख्या- 198(एस0बी0)/2012, डा0 आर0के0 सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में एवं 3(एस0बी0)/2013, डा0 शरद कुमार अग्रवाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9-7-2013 में शासनादेश दिनंाक 21-5-1982 को स्पष्ट करने हेतु शासनादेश निर्गत करने या पशु चिकित्सा अधिकारियों को नान प्रैक्टिस भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के आदेश दिये है तद्रनुसार प्रश्नगत प्रकरण में समस्त तथ्यों, परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त शासनादेश संख्या- 1215/12-प-1-10-15(1)/74(103), दिनांक 21-5-1982 एवं शासनादेश संख्या- 956प0म0/12-प-1-94-8(114)/94, दिनंाक 28-11-1994 को अवक्रमित करते हुये पशु चिकित्सा अधिकारियों को निजी प्रैक्टिस करने की छूट निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः-

(1) पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निजी प्रैक्टिस ड्रयूटी के समय नहीं की जायेगी
(2) इससे उनके शासकीय कार्यो के निर्वहन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा
(3) इस हेतु पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपने शासकीय पद/प्रास्थिति का उपयोग नही किया जायेगा
(4) प्रैक्टिस किये जाने के स्थान की सूचना उनके द्वारा सक्षम अधिकारी को दी जायेगी 1

भवदीय

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-4374(1)/37-1-2013-07(81)/2011, तद्रदिनंाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक(प्रशासन) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
2- समस्त अपर निदेशक(श्रेणी-2) पशुपालन विभाग
3- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
4- गार्ड बुक

आज्ञा से,

सुनील कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in